(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के. जैन

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1328–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–6–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 108/2014–15/2014–15

---

1. मुस. पारो वेवा देवीलाल कुशवाह
2. हरी
3. रमेश पुत्रगण देवीलाल कुशवाह
निवासीगण ग्राम राजापुरा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी म0प्र0
4. गीताबाई पुत्री देवीलाल पत्नी कमरलाल कुशवाह
निवासी ग्राम नोहरी कलां तहसील व जिला
शिवपुरी म0प्र0
5. किशना बाई पुत्री देवीलाल
पत्नी कमलकिशोर कुशवाह
निवासी ग्राम जैन मन्दिर के पास कोलारस
जिला शिवपुरी म0प्र0
6. सीता बाई पुत्री देवीलाल पत्नी कोमलप्रसाद
निवासी ग्राम सजाई तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी
7. बंसन्ती बाई पुत्री देवीलाल पत्नी मुकेश कुशवाह
निवासी काली माता मन्दिर के पास तहसील व
जिला फरक्काबाद उ.प्र.

............................आवेदकगण

बनाम

1. जैनो बाई पत्नी खच्चूराम कुशवाह
2. सुरेश
3. दिनेश पुत्रगण खच्चूराम कुशवाह
मुन्नी (मृतक) वारिसानः–
4. हरीशंकर
5. सौरभ
6. कमलेश

48

(3)

(1)

7. पवन, पुत्रगण बुद्धा कुशवाह
8. उर्वशी
9. निर्मला, पुत्रीयां हरीशंकर कुशवाह
निवासीगण–ग्राम सैसई सड़क तहसील कोलारस
जिला–शिवपुरी, म.प्र.
10. विमला पुत्री खच्चूराम पत्नी पातीराम कुशवाह
निवासी–ग्राम मनियर, तहसील व जिला–शिवपुरी म.प्र.
11. चम्पा बाई पुत्री खच्चूराम पत्नी धनीराम कुशवाह
निवासी–रामदास घाटी शिन्दे की छावनी, ग्वालियर
12. उषाबाई पुत्री खच्चूराम कुशवाह पत्नी किशोरी लाल
निवासी–हाथी खाने के पास शिवपुरी, म.प्र.
13. इन्द्राबाई पुत्री खच्चूराम कुशवाह पत्नी मुकेश कुशवाह
निवासी–लक्कड़ खाना माता मन्दिर के पास लश्कर,
ग्वालियर, म.प्र.

..........................अनावेदगण

श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.एस. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 08/5/2019 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे सक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वा. द्वारा पारित दिनांक 01–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोलारस स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 1346 रकवा 0.028 है0, 1348 रकवा 0.131 है0, 1350 रकवा 0.010 है0, 1351 रकवा 0.052 है0, 1421/2 रकवा 0.136 है0 एवं 1476/1 रकवा 1.035 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.392 हैक्टेयर, जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी स्व0 देवीलाल पुत्र हरपाल काछी थे। देवीलाल की मृत्यु पश्चात अनावेदक क्र.1 द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा

58

3

नामांतरण पंजी क्रमांक 120 दिनांक 23–08–2002 से अनावेदकगण के पक्ष नामांतरण स्वीकार किया गया। नामांतरण आदेश दिनांक 23–08–2002 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 20/2002–03/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 30–10–2004 से उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 23–08–2002 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये यथोचित आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर प्रकरण क्रमांक 50/2003–04/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 21–10–2005 से आवेदकगण के पक्ष में उक्त भूमियों पर नामांतरण स्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2005 से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 43/2013–14/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 15–01–2015 से अपील स्वीकार की तथा विवादित भूमियों पर आवेदकगण एवं अनावेदकगण का समान भाग पर नामांतरण स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 108/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 01–06–2015 से आदेश संशोधित कर आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 जैनोबाई से उत्पन्न वारिस संतान को समान भाग पर नामांतरण करने के आदेश दिये। अपर आयुक्त के इसी इसी आदेश के विरूद्ध यह इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि मृतक देवीलाल की पहली विवाहिता पत्नी मुस0 पारो है। पारोबाई व जैनोबाई सगी बहन हैं। जैनोबाई का पहला पति खच्चूराम था,

8/5/17

(3)

जिससे उसका विवाह हुआ था। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अनावेदक कमांक 1 जैनोबाई एवं उसकी संतानों को मृतक देवीलाल की भूमि में अधिकार / स्वत्व प्राप्त है ?

4/ विचारण न्यायालय के अभिलेख में तहसीलदार द्वारा कथन अंकित किये गये हैं, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका पारोबाई ने अपने कथन में यह कहा है कि जैनोबाई खच्चूराम की पत्नी है खच्चू अभी जिन्दा है और जैनोबाई और खच्चूराम से 2 लडके और 4 लडकियां है। जैनोबाई के मेरे पति देवीलाल के यहां रहते हुये कोई औलाद पैदा नही हुई।

विचारण न्यायालय में साक्षी कमांक 2 सिराज अहमद ने अपने कथन में यह कहा कि उसने जैनोबाई को देवीलाल के घर पत्नी बन कर रहते नहीं देखा और देवीलाल से बच्चे पैदा होने की जानकारी नहीं है।

विचारण न्यायालय में साक्षी कमांक 3 खच्चू कुशवाह ने अपने कथन में यह कहा कि जैनोबाई मेरी पत्नी है उससे मेरा विवाह 7 फेरे पडकर हिन्दू विधि से हुआ था। शादी के वाद उसने मुझसे तलाक या छोड़छुटटी नहीं ली है।

विचारण न्यायालय में साक्षी कमांक 4 वाले यादव ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि जैनोबाई और खच्चू कुशवाह को जानता हूँ और उन दोनों का विवाह 40 वर्ष पहले हुआ था। जैनोबाई कोलारस में रहती है खच्चू के साथ नही रहती थी, कभी खच्चू के पास आ जाती है।

विचारण न्यायालय में साक्षी बालूराम कुशवाह ने अपने कथन में यह कहा कि ऐसा कोई जिंदा आदमी नहीं बता सकता जिसके सामने जैनोबाई की देवीलाल से शादी हुई हो मुझे नहीं पता कि जैनोबाई से शादी हुई थी या नहीं। मुझे नहीं पता कि खच्चू आज भी जीवित है।

विचारण न्यायालय में साक्षी रामजीलाल ने अपने कथन में कहा है कि देवीलाल 70–75 साल की उम्र में खत्म हुए है पारोबाई जैनवाई की उम्र 50–55 साल है, देवीलाल पारोबाई के साथ रहता था, मरने तक पारोबाई के

साथ ही रहा है। आगे प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह खच्चू को जानता है मैनें सुना है जैनोबाई खच्चू को व्याही थी खच्चू सेसई रहता है। जैनोबाई खच्चे के यहां से कब आयी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि जैनोबाई देवीलाल की साली है तथा साली होने के नाते जैनोवाई बहन पारोबाई के यहा आती जाती रही होगी।

5/ विचारण न्यायालय में आये कथनों से यह तथ्य स्पष्ट है कि पारोबाई ही देवीलाल की विवाहिता पत्नी है। जैनोवाई का किसी भी साक्षी के कथन से वैध(Legal) विवाहिता पत्नी होना साबित नहीं है। जैनोबाई का हिन्दु रीति रिवाज से विवाह होना प्रमाणित नहीं है। केवल साथ रहने से विवाहिता पत्नी होना एवं संतान होने की अभिव्यक्ति मान्य नहीं की जा सकती। इस संबंध में एआईआर 1994 सु.को. 135 सुरजीत कौर बनाम दर्जित सिंह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायायदृष्टांत प्रतिपादित किया है–

''रूढ़िगत विवाह की सिद्धि के बिंदु पर मत व्यक्ति किया गया है – यदि सम्पदित कर्मकाण्ड की प्रकृति को नहीं बताया गया हो और रूढ़ि को भी वर्णित न किया गया हो, तो मात्र इस आधार पर कि पक्षकारगण पति पत्नी के रूप में साथ साथ निवास करते हैं उनके मध्य पति और पत्नी की प्रास्थिति नहीं होगी।''

जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि स्व0 देवीलाल और जैनोबाई का विवाह प्रमाणित नहीं हुआ है और वे केवल साथ रहते थे तब ऐसी स्थिति में जैनोबाई की संतानों को स्व0 देवीलाल का वारिस मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि शेष अनावेदकगण जैनोबाई एवं देवीलाल से ही उत्पन्न संतान है ऐसा न तो कथन से प्रमाणित हुआ है और न ही कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अनावेदक 2 लगायत 13 देवीलाल से उत्पन्न संतान हैं। जैनोबाई पूर्व से विवाहित थी और उसका पति खच्चूराम अभी मौजूद है। यदि जैनोबाई अविवाहित होकर स्व0 देवीलाल के साथ निवास करती और यदि उनसे उत्पन्न संतान होती

तब उन्हें वैध वारिस मान्य किया जा सकता था। अनावेदकों की ओर से विचारण न्यायालय में मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें पिता का नाम देवीलाल अंकित है। उक्त मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति से वैध वारिस होना प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि उक्त प्रमाण जन्म के समय का न होकर वाद की सोच को प्रकट करता है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि स्व0 देवीलाल की मृत्यु के उपरांत अनावेदिका जैनोबाई व अन्य ने चोरी छिपे प्रश्नाधीन भूमि का पंजी कमांक 120 पर आदेश दिनांक 23–8–2002 से नामांतरण करा लिया। उक्त नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने आदेश दिनांक 31–7–04 से निरस्त कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर यथोचित निर्णय पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया था। तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका एवं उसकी संतान अपने आपको स्व0 देवीलाल के वैध वारिस सिद्ध करने में असफल रहे, इसी कारण तहसीलदार कोलारस ने आदेश दिनांक 21–10–2005 को विस्तार से विवेचना कर प्रश्नाधीन भूमि पर सिर्फ आवेदकगण का नाम नामांतरण के आदेश दिये। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अनियमितता प्रकट नहीं होती है। नामांतरण किसी भूमिस्वामी के मृत हो जाने पर उनके वैध वारिसों के नाम किया जाता है। नामांतरण की प्रकिया केवल अभिलेख अद्यतन करने की प्रकिया है। नामांतरण से किसी को स्वत्व प्राप्त नहीं होते है। विचारण न्यायालय में आये साक्ष्यों से यह तथ्य सामने आया है कि जैनोबाई कुछ वर्षों से स्व0 देवीलाल के साथ रह रही थी। कुछ समय के लिए यह मान लिया जाये कि देवीलाल और जैनोबाई प्रथम विवाहिता पत्नी के जीवित रहते पति पत्नी के रूम में निवास कर रहे थे तब भी उक्त संबंध वैध नहीं मान्य किया जा सकता। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार–

''दो हिन्दुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थातः–––

1. विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो।''

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार–

''15. कब विवाह –विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे– – जब कि विवाह–विच्छेद को डिकी द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो या तो डिकी के विरूद्ध के अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का कोई ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की गई हो किन्तु खारिज कर दी गई हो तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा।''

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के अनुसार–

17. द्विविवाह के लिए दण्ड–– यदि अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दो हिन्दुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा।''

6/ स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने जैनोबाई को स्व0 देवीलाल की पत्नी मान्य करने एवं जैनोबाई के बच्चों को देवीलाल की संतान मानने में त्रुटि की है। क्योंकि एक विवाहित पत्नी के जीवित रहते द्वितीय विवाह करने का अधिकार कानून प्रदान नहीं करता है और न ही अभिलेख से जैनोबाई एवं उसकी संतान स्व0 देवीलाल के वैध वारिस सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति मे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदकगण दोनों के नाम समान भाग पर नामांतरण के आदेश देने में त्रुटि की है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने भी जैनोबाई की संतान को स्व0 देवीलाल के वारिस मानने में नियमों एवं अभिलेखदर्शी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त ने मान0 सर्वोच्च न्यायालय के जिस न्यायदृष्टांत के आधार पर जैनोबाई की संतान को हक प्रदान किया है वह

न्यायदृष्टांत मूल धारक द्वारा किये गये शून्य विवाह से उत्पन्न वारिसों को लेकर प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकरण में जैनोबाई की संतान मुल धारक स्व0 देवीलाल से उत्पन्न होना प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में मान0 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। इसलिए अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष भी नियमों एवं अभिलेख के अनुसार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 01–6–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 15–1–2015 निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार कोलारस जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 21–10–2005 स्थिर रखा जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।

8/8

28/5/19

(आर0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर